

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

57 / 2020
29.10.2020

लादू पुत्र लालू महावर जाति कोली निवासी विजयनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
राज०

बनाम

—अपीलाण्ट

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोंक

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय

नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 27.03.2020 मिसल नम्बर 308 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 10.10.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 350 / 218 रकबा 0.25 है० किरम चरागाह वाके ग्राम विजयनगर तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर गेहूँ की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 100 / रू. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई है और ना ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत कोई साक्ष्य-सबूत भी नहीं है। अपीलांट को उक्त भूमि पर से वास्तविक रूप से कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने बाबत शपथ



जिला कलेक्टर
टोंक



पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 350/218 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम विजयनगर तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार बनेटा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर वार-वार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 350/218 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम विजयनगर तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त द्वारा दिनांक 15.09.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर वर्तमान मे मेरा कोई कब्जा काश्त नहीं है। मैंने उक्त आराजीयात पर से स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा मेरा उक्त आराजीयात पर कोई कच्चा, पक्का निर्माण नहीं है और भविष्य मे कभी भी मैं उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं करूंगा और ना ही ऐसी कोई भावना रखूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेटा का निर्णय दिनांक 27.03.2020 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्त पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र रथगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक
टोंक